60

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 2050–दो/2005 – विरूद्ध आदेश दिनांक 14––11–2005 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा– 77/2005–06 निगरानी

1– रामरखवारे तिवारी
2– रामाधार तिवारी दोनों पुत्रगण सत्यनारायण तिवारी
3– रामस्वरूप तिवारी पुत्र कृष्णदत्त
4– छोटेलाल पुत्र रामदुलारे ब्राहमण
सभी ग्राम हर्दी तिवारियान तहसील मउञ्रांज जिला रीवा ——आवेदकगण

विरूद्ध

1– लक्ष्मण प्रसाद पुत्र भूषणराम
2– श्रीनिवास श्रीकृष्ण पुत्र रामऔतार
3– जगन्नाथ पुत्र रामदुलारे
4– मदनमोहन पुत्र लोलरराम
5– रामसलोने पुत्र सत्यनारायण
6– बैजनाथ पुत्र रामदुलारे
7– (1) अशोककुमर (2) राकेशकुमार
पुत्रगण शॅकरप्रसाद
8– बुद्धसेन 9– रामलल्लू पुत्रगण भोलाप्रसाद
10– (1) हर्षलाल (2) रामलाल (3) रामलखन
तीनों पुत्रगण नाथूराम
11–देवशरण पुत्र बद्रीराम
12–सच्चिदानन्द पुत्र रामशरण
13–इन्दलाल 14–केशरी 15– सूर्यप्रताप
तीनों पुत्रगण अवधशरण सभी ग्राम हर्दी तिवारियान
तहसील मउञ्रांज जिला रीवा ——अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 19 –06 –2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक

77/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14-11-05 के विरूद्ध म0 प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत हर्दी तिवारियान व्दारा ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 11 पर आदेश दिनांक 28-12-1999 से किये गये बटवारा सह नामान्तरण आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, मउगंज के समक्ष अपील प्रस्तुत की तथा ग्राम की नामान्तरण पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त न होने के कारण अपील मेमो के साथ नामान्तरण पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई। अनुविभागीय अधिकारी मउगंज ने प्र0क0 362 अ 6/99-2000 अपील पॅजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 16-7-2001 पारित करके नामान्तरण पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत न करने के कारण अपील अग्राह्य की। अनुविभागीय अधिकारी मउगंज के आदेश दिनांक 16-7-2001 के विरूद्ध अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर जिला रीवा ने प्र0क0 147 अ-6/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 18-12-2002 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण कमांक 77/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14-11-05 से निगरानी बेरूम्याद मानकर निरस्त कर दी। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 77/2005-06 निगरानी के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपर कलेक्टर जिला रीवा के आदेश दिनांक 18-12-2002 के विरूद्ध अपर आयुक्त के न्यायालय में दिनांक 16-6-2003 को निगरानी प्रस्तुत की गई है जो लगभग 6 माह के विलम्ब से है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रस्तुत निगरानी मेमो के साथ अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन भी दिया गया है जिसमें इस प्रकार का उल्लेख है :-

अपर कलेक्टर के के न्यायालय में आवेदकगण व्दारा पुर्नविलोकन का आवेदन

पत्र प्रस्तुत किया था जिस पुर्नविलोकन आवेदन पत्र पर अपर कलेक्टर महोदय व्दारा दिनांक 10–6–03 को आदेश पारित कर दिया गया। यह कि अपर कलेक्टर महोदय व्दारा पारित पुर्नविलोकन आदेश की जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 13–6–03 को हुई उसी दिन नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो उसे 16–6–03 को प्राप्त हुई जिस कारण प्रार्थीगण की यह निगरानी 16–3–06 को बनवाकर श्रीमान न्यायालय में आज दिनांक 16–6–03 को ही प्रस्तुत कर रहे है।

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 14–11–05 में निर्णय लिया है कि यह निगरानी आदेश दिनांक 18–12–02 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 16–3–06 को प्रस्तुत की गई थी जो करीव 6 माह विलंब से पेश की गई है, जबकि अपर कलेक्टर के पुर्नविलोकन आदेश से स्पष्ट है कि पुर्नविलोकन प्रकरण में आदेश दिनांक 10–6–03 पारित होने के वाद निगरानी प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने के दिनांक 16–3–06 को प्रस्तुत कर दी गई है इस प्रकार अपर आयुक्त, रीवा का आदेश दि. 14–11–05 गलत निष्कर्षो पर आधारित है जिसके कारण पक्षकार न्यायदान से बंचित रह गये हैं , फलतः अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 77/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14–11–05 निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ अपर कलेक्टर जिला रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 147 अ–6/01–02 में पारित आदेश दिनांक 18–12–2002 एंव पुर्नविलोकन आदेश दिनांक 10–6–03 तथा अनुविभागीय अधिकारी मउगंज व्दारा प्रकरण क्रमांक 362 अ 6/99–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–7–2001 में निकाले गये निष्कर्ष के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदकगण की ओर से अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष प्रस्तुत निगरानी मेमो के पद 5 में एंव पद 7 में इस प्रकार उल्लेख कर पक्ष प्रस्तुत किया है :–

पद 5 – गैर निगरानीकर्तागणों ने हलका पटवारी से मिलकर निगरानीकर्ता 2 व 4 छोटेलाल गैर निगरानीकर्ता , बैजनाथ गैर निगरानीकर्ता क–8 तथा प्रार्थी/निगरानीकर्ता के हस्ताक्षर बटवारा पुल्ली में करवाये वगैर प्रार्थी/निगरानीकर्ता क–1 रामरखवारे व 3 रामस्वरूप के जाली हस्ताक्षर बनाकर बटवारा पुल्ली तैयार की गई थी जिसकी शिकायत आयुक्त महोदय रीवा, जिलाध्यक्ष महोदय रीवा को दिनांक 24–10–2000 को की गई थी और आयुक्त महोदय ने दिनांक 24–10–2000 को जिलाध्यक्ष महोदय को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया था कि सरपंच व पटवारी मिलकर आवेदन में उल्लिखित भूमियों का बटवारा हिस्सेदारों के अलावा अन्य व्यक्तियों के नाम, जो पटटेदार नहीं हैं, किये गये हैं तथा आवेदकों को कोई सूचना नहीं दी गई है फलतः सारी कार्यवाही फर्जी होने से शिकायत की जांच की जाकर भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कार्यवाही करें।

पद 7 – प्रार्थी/निगरानीकर्ता की अपील में सुनवाई किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने दूसरे पक्षों को विधिवत् सूचना व सम्मन भेजे थे तथा स्थगन आदेश भी प्रार्थी/निगरानीकर्तागणों के पक्ष में प्रदान किया था लेकिन बीच में गैर निगरानीकर्तागणों के प्रभाव में आकर निगरानीकर्तागणों को सुने वगैर मनमानी रूप से अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति न पेश होने का कारण बताते हुये अपील निरस्त करने में कानूनी भूल की है जबकि नामान्तरण पंजी व नामान्तरण आदेश की नकलें पूर्व में ही अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में संलग्न की जा चुकी थीं।

अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी मेमो में उपरोक्त विवरण अंकित है इसके वाद भी अपर कलेक्टर ने इन तथ्यों का पुष्टिकरण किये बिना निगरानी निरस्त की है जिसके कारणअपर कलेक्टर जिला रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 147 अ–6/01–02 में पारित आदेश दिनांक 18–12–2002 एंव पुर्नविलोकन आदेश दिनांक 10–6–03 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ अनुविभागीय अधिकारी मउगंज व्दारा प्रकरण क्रमांक 362 अ 6/99–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–7–2001 में निकाले गये निष्कर्ष के अवलोकन पर स्थिति यह है कि उन्होंने ग्राम की नामान्तरण पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि के अभाव में अपील निरस्त की है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 48 इस प्रकार है :–

धारा 48 – याचिका के साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि होगी जिसके कि संबंध में आपत्ति की गई है – अपील पुर्नविलोकन या पुनरीक्षण के लिये प्रत्येक याचिका के साथ उस आदेश की , जिसके कि संबंध में आपत्ति की गई है, प्रमाणित प्रतिलिपि होगी जब तक कि ऐसी प्रतिलिपि के पेश किये जाने से अभिमुक्ति न दे दी गई हो।

तात्पर्य यह है कि यदि अपीलांट व्दारा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति के अभाव की सूचना दी गई है प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने से न्यायालय मुक्ति प्रदान करते हुये न्यायदान हेतु प्रकरण में सुनवाई कर सकेगा।

बुन्देावाई विरूद्व खगेश्वर 1991 रा.नि. 278 में व्यवस्था दी गई है कि अपील के साथ आक्षेपित आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई, आवेदन पत्र दिये जाने पर आदेश की प्रति नहीं दी गई । अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की गई। यह अभिप्राय लिया जावेगा कि ऐसी अभिमुक्ति अपीलार्थी को दी गई है।

आवेदकगण संभाग आयुक्त को दिये गये शिकायती विवरण में प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने तथा अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी मेमो में पद 5 व 7 में किये गये अभिकथन से प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करना बताते हुये न्याय मांग रहे है, तहसील न्यायालय में नामान्तरण पंजी विद्वमान है अनुविभागीय अधिकारी का दायित्व है कि न्यायदान के लिये तहसील न्यायालय से नामान्तरण पंजी

मंगाते हुये अपील प्रकरण में संलग्न कर पक्षकारों को न्याय प्रदान करते, परन्तु उन्होंने न्याय प्रदान न करते हुये ग्राम पंचायत व्दारा ग्राम की नामान्तरण पंजी पर दिये गये बटवारा सह नामान्तरण आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील को प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत न करने के आधार पर अपील अग्राह्य करने में भूल की है। ग्राम की नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश दिया ही नहीं जा सकता। इस पर अनुविभागीय अधिकारी व्दारा गौर न करने से उनके व्दारा व्दारा पारित आदेश दिनांक 16-7-2001 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 77/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14-11-05, अपर कलेक्टर जिला रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 147 अ-6/01-02 में पारित आदेश दिनांक 18-12-2002 एंव पुर्नविलोकन आदेश दिनांक 10-6-03 तथा अनुविभागीय अधिकारी मउगंज व्दारा प्रकरण क्रमांक 362 अ 6/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-7-2001 त्रृटिपूर्ण होने निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी मउगंज की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर संहिता की धारा 44 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अपील प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर